छत्तीसगढ़ विधान सभा
फरवरी–मार्च, 2021 सत्र
दैनिक कार्य सूची
बुधवार,दिनांक 3 मार्च, 2021 (फाल्गुन 12, 1942)
समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. रमन सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, वन मंडल, खैरागढ़ अंतर्गत गंडई क्षेत्र में वन्य प्राणी का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, रायपुर के ग्राम बोरियाकला चौक से सिद्धार्थ चौक तक फोरलेन के दोनों ओर अतिक्रमण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, प्रदेश में दिव्यांगों के उचित शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष शिक्षक भर्ती नहीं किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) चांपा में शासकीय बिसाहूदास महंत अस्पताल को 50 बिस्तर में उन्नयन कर भवन स्वीकृत करने,

(ii) ग्राम कैथा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iii) बम्हनीडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तर में उन्नयन करने,

(2) श्री संतराम नेताम, सदस्य, केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम सालेभाट (सिकागांव) में पूर्व माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम खलारी में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम कोसमी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(3) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धुर्राबांधा में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(4) श्रीमती छन्नी चंदू साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–6 से पंडरापानी के मध्य सड़क निर्माण करने,

(5) श्री पुरूषोत्तम कंवर, सदस्य, जिला कोरबा अंतर्गत –

(i) ग्राम बोईदा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम उतरदा व रामपुर के मध्य नदी पर पुल निर्माण करने,

(6) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम घठुला में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम बरबांधा में जलाशय एवं नहरों का जीर्णोद्धार करने तथा

(iii) ग्राम सांकरा में मत्स्य एवं वानिकी महाविद्यालय खोलने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च,2021